

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अधिष्ठान -7- अनुभाग)
सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या:- 5498/ई-7/अवर अभि०/नियुक्ति/

लखनऊ : दिनांक : 18 / 11 / 2016

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ के पत्रांक-534/गोपन अनुभाग/2016 दिनांक 07-06-2016 एवं पत्रांक-579/गोपन अनुभाग/2016 दिनांक 15-7-16 द्वारा प्राप्त अवर अभियन्ता (सिविल) पद पर पदस्थापना हेतु चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी की नियुक्ति अस्थाई अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु09300-34800, ग्रेड पे 4200/- में एतद्द्वारा की जाती है। इन्हें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशानुसार महंगाई भत्ता भी वेतन के साथ देय होगा, इन्हें इनके नाम के सम्मुख लिखे गये खण्ड में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	अधीन सोचो आयोग का क्रमांक	अवर अभियन्ता का नाम सर्वश्री:-	पिता का नाम सर्वश्री:-	जन्मतिथि	गृह-जनपद	श्रेणी	पदस्थापित खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	101	सत्वम मिश्रा	राजेन्द्र मिश्रा	04.01.1995	महोबा	सामान्य	ड्रेनेज खण्ड, एटा
2.	102	रविकान्त मौर्य	रमेश प्रसाद मौर्य	15.09.1995	आजमगढ़	अ०पि०वर्ग	ड्रेनेज खण्ड, एटा
3.	23	रंजीत कुमार स्वामी	राजन स्वामी	18.11.1993	धनबाद (झारखण्ड)	सामान्य	सरयू नहर खण्ड-4, गोण्डा
4.	59	आशुतोष मौर्य	महेंद्र प्रसाद मौर्य	07.07.1993	गोरखपुर	अ०पि०वर्ग	मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-13 गढ़मुक्तेश्वर
5.	43	चन्देश कुमार	अनूप लाल सिंह	12.06.1992	समस्तीपुर (बिहार)	सामान्य	सिंचाई नियंत्रण कक्ष, लखनऊ
6.	167	अनवारूल हक	मो० असगर अंसारी	10.06.1994	इलाहाबाद	अ०पि०वर्ग	मध्यगंगा नहर निर्माण खण्ड-16 चन्दौसी

1- उपरोक्त नवनियुक्ति अवर अभियन्ता को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र मूलरूप में उस खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, जिसके अधीन उन्हें पदस्थापित किया गया है, अन्यथा उनकी योगदान आख्या स्वीकार्य नहीं की जायेगी:-

(ए) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास (Domicile) प्रमाण-पत्र।

(बी) यदि पहले से सेवा में हैं, तो उस विभाग से कार्यमुक्त होने का प्रमाण-पत्र।

(सी) निम्नलिखित आचरण प्रमाण-पत्र:-

(1) किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों का प्रमाण-पत्र, जो अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से प्रमाण-पत्र की तिथि से 05 वर्ष पूर्व से जानते हों, अथवा

ऐसे ही विधान सभा/विधान परिषद/लोकसभा में दो माननीय सदस्यों के प्रमाण पत्र

(2) शिक्षा संस्था के प्रधानाचार्य जहाँ पर उनसे अन्तिम रूप से शिक्षा प्राप्त की हो, के द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

(डी) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का स्वयं का घोषणा पत्र (शासकीय आदेश संख्या-4302/02/ 1954, दिनांक-21.05.1959 के अनुसार)।

(ई) संलग्न परिशिष्ट 03 व 04 में संलग्न घोषणा-पत्र।

कमश:-2

श्री अजय, के लधे

23/11/16
ARce 23/11/16

- (एफ) सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- (जी) समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित प्रतियां।
- (एच) शासनादेश सं०-1003/60-3-06-3(16ए0क्यू0)/2000 दिनांक 08.06.2009 में निहित प्राविधानों के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं उत्तर प्रदेश प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथासंशोधित नियमावली, 2004 के अनुसार अपने विवाह के समय कोई दहेज नहीं लिया है अथवा नहीं लूंगा का घोषणा पत्र।
- (आई) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्वयं व अपने आश्रितों द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उक्त विवरण 30प्र० राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के क्रम में प्रत्येक 05 वर्ष पर नियुक्ति प्राधिकारी को नियमित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2- उक्त नियुक्ति, नियुक्ति विभाग, अनुभाग-3, 30प्र० शासन के शासनादेश सं०-20/1-1974-Appt-3 दिनांक 11 जून 1975(यथासंशोधित) में प्राविधानित नियमों एवं सेवा शर्तों के अधीन की जा रही है। अवर अभियन्ता की सेवा किसी भी समय एक माह की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। यदि अवर अभियन्ता स्वयं सेवामुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें भी नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। एक माह के नोटिस के बदले विभाग एक माह का वेतन देकर अथवा नोटिस समयावधि में कमी के समतुल्य वेतन जमा कराकर भी अवर अभियन्ता को सेवा से अवमुक्त कर सकता है। इसी प्रकार अवर अभियन्ता भी नोटिस के बदले में एक माह का वेतन नोटिस में कम समयावधि के तुल्य वेतन देकर सेवा से अवमुक्त हो सकता है।
- 3- नवनियुक्त अवर अभियन्ता दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रहेंगे। उक्त अवधि में उनका कार्य कलाप असन्तोषजनक होने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 4- नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- 5- अभ्यर्थी को इस आशय का एक बन्धक पत्र कि उन्हें सेवा में रहते हुए कम से कम 05 वर्षों तक अनुसंधान एवं नियोजन के कार्यों में अनिवार्य रूप से कार्य करना होगा, जिसे अधिशासी अभियन्ता को भरकर देना होगा, अधिशासी अभियन्ता प्रतिहस्ताक्षरित करके इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
- 6- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नवनियुक्त अवर अभियन्ता (सिविल) के समस्त मूल शैक्षणिक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को कार्यालय में जमा कराये एवं उनका सत्यापन जारी करने वाले प्राधिकारी से कराये।
- 7- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र पर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने तथा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तभी कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
- 8- उपरोक्त नियुक्ति शासनादेश संख्या-22/5/1982-का-2, दिनांक 27-7-1994 के प्रस्तर-2 के अनुसार अस्थायी है और शैक्षणिक अभिलेखों/ जाति प्रमाण पत्र के उचित सत्यापन के शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर शैक्षणिक अभिलेखों/ जाति प्रमाण पत्र का दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी सेवार्यें समाप्त समाप्त मानी जायेंगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।
- 9- अभ्यर्थियों की पदस्थापना उनके गृह जनपद में नहीं की जायेगी।
- 10- नवनियुक्त अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के प्राविधानानुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।
- 11- अभ्यर्थी को अपना कार्यभार आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रत्येक दशा में ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि तक कार्यभार नहीं ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

संदीप अग्रवाल
प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०)

संख्या:- /1/ई-7/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

कमश:-3

1. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 7-06-16 के सन्दर्भ में।
2. सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-7) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता(स्तर-1) एवं (स्तर-2) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य अभियन्ता, (अधिष्ठान-8), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त नियुक्ति आदेश को सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता (सिंचाई) / (परिकल्प एवं नियोजन) मुख्य अभियन्ता, (कार्मिक)(स्तर-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. शिविर सहायक, मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-7/8) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. महासचिव, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, 62 क्ले स्वायर, लखनऊ।
11. उपरोक्त अभ्यर्थी की वैयक्तिक पत्रावाली हेतु।
12. कट-फाइल।

(अजय कुमार त्रिवेदी)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-ई-7)

संख्या:- /2/ई-7/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस कथन के साथ प्रेषित है कि वांछित प्रमाण-पत्रों/घोषणा-पत्रों के साथ अपना कार्यभार अपने नाम के सम्मुख अंकित खण्ड में निर्धारित तिथि के अन्दर प्रत्येक दशा में ग्रहण कर लें, अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे:-

1. सत्यम मिश्रा पुत्र श्री राजेन्द्र मिश्रा निवासी मातनपुरा पनवाड़, जिला महोबा पिन कोड-210429
2. रविकान्त मौर्य पुत्र श्री रमेश प्रसाद मौर्य निवासी गांव समुन्दपुर, पोस्ट सगरी, आजमगढ़ पिन कोड-276138
3. रंजीत कुमार खानी पुत्र राजन खानी निवासी चिरौधी, पुतकी कुसन्दा, धनबाद, झारखण्ड पिन कोड-828116
4. आशुतोष मौर्य पुत्र महेंगू प्रसाद मौर्य निवासी मोहल्ला जंगलबेनी माधो नं0-2, पोस्ट-मोहरीपुर, जिला गोरखपुर पिन कोड-273007
5. चन्देश कुमार पुत्र श्री अनूप लाल सिंह निवासी बगही (एकदारा), जिला-समस्तीपुर (बिहार) पिन कोड-848130
6. अनवारुल हक पुत्र श्री मो0 असगर अंसारी निवासी ग्राम व पोस्ट-धोवहा, हण्डिया, इलाहाबाद पिन कोड-221502

(अजय कुमार त्रिवेदी)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-ई-7)